मनवान भगवान पार्श्वनाथ V/s चेलाराम
मुकदमा नंबर 174 / 2023

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
18.11.2024	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी व विप्रार्थी संख्या 3 से 5 व 7 के वकील उपस्थित। विप्रार्थी संख्या 3 से 5 व 7 के वकील द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया। उभयपक्षकारन अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई । वकील प्रार्थी का कथन है कि प्रार्थी विवादित भूमि का रेकर्डेड खातेदार है। तथा मौके पर माठ को लेकर विप्रार्थी संख्या 2 से 8 के खातेदार से तनाजा उत्पन्न हो रखा है । विप्रार्थी संख्या 2 से 8 प्रार्थी के भूमि का सीमाज्ञान नहीं होने दे रहे है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी की खसरा संख्या 1559/392 रकबा 0.5018 हैक्टयर भूमि के चारों तरफ बाद पैमाईस पक्के नेखम स्थापित करने का आदेश फरमाया जावे। विप्रार्थी 3 से 5 व 7 के वकील का कथन है कि प्रार्थी व विप्रार्थी संख्या 3 से 5 व 7 के मध्य बॉउण्ड्री को लेकर कोई विवाद नहीं है प्रार्थी गलत तरीके से पत्थरगढ़ी करवाना चाहता है जिसका प्रार्थी को कोई हक व अधिकार नहीं है अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे। हमने उभयपक्षकारन के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी । पत्रावली का अवलोकन किया गया प्रार्थी विवादित भूमि के रिकार्डेड खातेदार हैं और उक्त भूमि पर काबिज होकर काश्त करते आ रहे है। विप्रार्थीगण के खेत प्रार्थी की खातेदारी भूमि से लगते हुए होने से वे माठ तोड़ कर जबरन प्रार्थी की खातेदारी भूमि पर काबिज होने को उतारू रहते है। अतः प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि की नेखमबंदी करवाना चाहता है। ऐसी सूरत में विवादित भूमि की नेखमबंदी किये जाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है। लिहाजा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम रमणिया तहसील सिवाना की खसरा संख्या 1559/392 रकबा 0.5018 हैक्टयर भूमि के चारों तरफ बाद पैमाईस पक्के नेखम स्थापित कर नेखमबंदी [illegible] 2000/- रुपये शुल्क पर कमिश्नर नियुक्त किया [illegible] है। कमीशनर शुल्क प्रार्थी मौके पर अदा करे। आवश्य[illegible] होने पर तहसीलदार सिवाना को संबंधित पुलिस थाना से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है। त[illegible]दार बाद पालना, पालना प्रतिवेदन प्रेषित करे। तहरीर जारी हो। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली हो।	

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2024.12.01 14:28:43 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सिवाना (बालोतरा)

क्रमांकः वाचक / 2024 / 1156 दिनांक : 19.11.2024

प्रार्थी	बनाम	विप्रार्थीगण
भगवान पार्श्वनाथ जीवदया गौ सेवा संस्थान मोकलसर		चेलाराम पुत्र खसाराम वगैराह

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 रा.भू.रा. अधिनियम हेतु नेखम पैमाईश जरिये पत्थर गढ़ी

राजस्व आवेदन सं 174 / 2023 दिनांक :– 18.11.2024

–:: आदेश ::–

उपरोक्त अनवान प्रकरण में ग्राम रमणिया तहसील सिवाना के खेत खसरा संख्या 1559 / 392 रकबा 0.5018 हैक्टयर भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबंदी करने हेतु तहसीलदार सिवाना को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस रूपये 2000 / –प्रार्थी मौके पर अदा करे।

उपरोक्तानुसार नेखमबंदी कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस के भीतर उपलब्ध करावें। आवश्यकता होने पर उन्हे सम्बन्धित पुलिस थाना से पुलिस ईमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी,
सिवाना (बालोतरा)

क्रमांकः वाचक / 2024 / 1157 दिनांक : 19.11.2024

प्रतिलिपि :

1. तहसीलदार सिवाना
2. थानाधिकारी पुलिस थाना सिवाना
3. हल्का पटवारी रमणिया को तहसीलदार सिवाना द्वारा निर्धारित की गई तिथि को मय रेकर्ड मौके पर उपस्थित रहकर नेखमबंदी कार्यवाही पूर्ण कराने हेतु।
4. प्रार्थी भगवान पार्श्वनाथ जीव दया गौ सेवा संस्थान मोकलसर,जरिये अध्यक्ष तेजराज पुत्र पुखराज गुलेच्छा जाति ओसवाल निवासी मोकलसर तहसील सिवाना जिला बालोतरा

उपखण्ड अधिकारी,
सिवाना (बालोतरा)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बालोतरा) सत्यमेव जयते

Signature Not Verified

Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2024.12.01 14:28:43 IST
Reason: SelfAttested